राजस्थान सरकार

कार्मिक(क-3/निरीक्षण)विभाग

कमांक:- प. 9(3)कार्मिक/क-3/नि./98 जयपुर, दिनांक: 18.1.03

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव

समस्त सम्भागीय आयुक्त

समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर

परिपत्र

विषय:- विभागीय जांचों को शीघ्र निपटाने बाबत्

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.05.2002 द्वारा अनुशासनिक जांच कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए थे, लेकिन प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य में एवम् कतिपय परिस्थितियों में परिपूर्ण नहीं थे, अत: उनकी निरन्तरता में आंशिक संशोधन सहित निम्न प्रकार अनुशासनिक जांच प्रकरणों में जांच के प्रस्ताव भिजवाते समय एवम् जांच कार्यवाही के सम्पादन के दौरान निम्न सूचनाएं प्रस्तावों के साथ निश्चित एवम् आवश्यक रूप से भेजी जावे।

समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.05.2002 द्वारा परिभाषित **परिशिष्ट "द"** अब निम्न प्रकार से है:-

परिशिष्ट "द"

आरोपित अधिकारी/कर्मचारी का सेवा विवरण

1. नाम-
2. पदनाम-
3. सेवा संवर्ग-
4. क्या सेवा में स्थायीकृत (confirmed) है-
5. जन्मतिथि-
6. राजकीय सेवा में प्रवेश तिथि-
7. सेवानिवृत्ति तिथि-
8. वेतन श्रृंखला-
9. वास्तविक वेतन-
10. वेतनवृद्धि की दिनांक-
11. नियुक्ति प्राधिकारी-
12. मासिक देय स्वीकृत पेंशन-
    (यह सूचना सेवानिवृत्त राजसेवकों के बारे में आवश्यक है, जिनमें वसूली अथवा पेंशन रोकने का उद्देश्य हो)
13. यदि आरोपित निलम्बित हुआ है तो निलम्बन की तिथि
    क्या सक्षम अधिकारी से इसकी पृष्टि कराली गई है ?
14. निलम्बन से बहाल करने का दिनांक-
15. यदि आरोपपत्र सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है तो
    क्या महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति ले ली गई है?
16. पूर्व में कोई दण्ड दिया गया हो तो उसका सन्दर्भ/विवरण-

जांच कार्यवाही के सन्दर्भ में प्रशासनिक विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्मिक (क-3) विभाग में नियमानुसार जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर कार्यवाही की जाती है। इसमें आवश्यक रूप से आरोपित राजसेवक से पत्राचार होता है और उसके सेवा सम्बन्धी विवरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी आवश्यक एवं सुसंगत होती है, जो उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, जो निम्नानुसार है-

(1) आरोपित राजसेवक का वर्तमान पदस्थापन एवं समय-समय पर होने वाले स्थानान्तरण
(2) वेतनवृद्धि की दिनांक में यदि परिवर्तन हो गया हेा तो,
(3) सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
(4) यदि राजसेवक को अनिवार्य/स्वैच्छिक रूप से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया हो।
(5) सेवानिवृत्त राजसेवकों को कितनी मासिक पेंशन देय/स्वीकृत की जा सकती है अथवा स्वीकृत की गई है।

उक्त सूचनाएं प्रत्येक आरोपित राजसेवक की प्रत्येक अनुशासनिक जांच कार्यवाही के लिए अलग-अलग एवं कार्मिक विभाग की जांच कार्यवाही/ज्ञापन के सन्दर्भ में भिजवानी होगी। एक से अधिक जांच होने पर प्रत्येक जांच कार्यवाही के सन्दर्भ में अलग से सूचना भेजनी होगी।

आरोपित राजसेवक की निजी पत्रावली पर अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रकरण का लेवल लगाना चाहिए।

कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित दण्डादेश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही राजसेवकों पर तामील करवाए जाते हैं, लेकिन यथासमय दण्डादेश की प्रति राजसेवक को दी जाकर उसकी रसीद कार्मिक विभाग को नहीं भिजवाई जाती है। इस सन्दर्भ में यह अपेक्षित है कि दण्डादेश की तामील सम्बन्धित राजसेवक पर सुनिश्चित करके यथासमय कार्मिक विभाग को रसीद भेजी जावे। इस सन्दर्भ में विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

राज्य-सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी राज्य-सरकार द्वारा प्रसारित दण्डादेश का यथावत रूप से निष्पादन प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी यथासमय नहीं करते हैं। यदि दण्डादेश का निष्पादन किया भी जाता है तो उसकी अनुपालना रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है।

अत: यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रसारित दण्डादेश का तत्काल निष्पादन करके राजसेवक के सेवाभिलेख में इन्द्राज किया जावे एवम् अनुपालना रिपोर्ट शीघ्र ही भिजवाई जावे।

अत: उक्तानुसार आवश्यक दिशा-निर्देश सभी सम्बन्धितों को देते हुए इनका कठोरतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

शासन सचिव